

विधानसभा अतारंकित प्रश्न क्र.1695 द्वारा माननीय विधायक श्री राजेन्द्र पाण्डेय

वर्ष	कारखाने का नाम	दुर्घटना दिनांक	क्षतिक का नाम	दुर्घटना का विवरण	की गई कार्यवाही एवं जांचकर्ता/अधिकारी
2	3	4	5	6	7
2015	अम्बिका सान्देकर लि युनिट क्र. 1 औद्योगिक क्षेत्र, जावरा, जिला रतलाम	14.08.2015	स्व. श्री गंगाराम पिता श्री सुमान	वायलयर की पिम्नी के मेंटेनेंस के कार्य के दौरान 20 मीटर की ऊचाई से झूलस पर आ गिरे। (मृत्यु)	सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उज्जैन द्वारा दि. 20.08.2015 को जांच कर धारा-7ए, 88, 32 (सी) नियम-108,73 (ई), 107 Sch,XI Part2-19 के उल्लंघन बाबत मान. मुख्य दण्डाधिकारी, रतलाम में प्रकरण क्र. 3614/2015 दर्ज किया जिसमें रु.30,000 का अर्थदण्ड माननीय न्यायालय द्वारा किया गया।
2019	कटारिया वायर्स प्रा. लि. 10-13 औद्योगिक क्षेत्र, रतलाम	20.11.2019	स्व. श्री राजकुमार पिता वहीलाल बीरासी	केन के ऊपर वेल्डिंग के कार्य के दौरान 20 फीट की ऊचाई से गिरने के कारण (मृत्यु)	सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, उज्जैन द्वारा दि. 21.10.2019 को जांच कर कारखाना अधिनियम 1948 की धारा- 7 ए 2ए, 7 एडसी, 32(सी) तथा नियम-107 Sch,XI Part2- 15 (4) के उल्लंघन बाबत मान. मुख्य दण्डाधिकारी, रतलाम में प्रकरण क्र. RCT/2162/2019 दर्ज किया गया।
2019	मिनाईकल रबर इंजि. प्रा. लि. नं. 68 F.N.S. औद्योगिक क्षेत्र, जावरा, जिला रतलाम	31.10.2019	श्री रजत श्रीवास्तव पिता श्री जगदीश श्रीवास्तव	टाया हाथ रबर मिल में आ जाने से कलाई तक कट जाने की दुर्घटना (गंभीर)	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, उज्जैन द्वारा दि. 23.11.2019 को जांच कर कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-6,21(2) 88, नियम- 4,56 Sch.IV के प्रावधान 2(A), 108(4) के उल्लंघन बाबत मान. मुख्य दण्डाधिकारी, रतलाम में प्रकरण क्र. RCT/37/2020 पर दर्ज किया गया।
2022	एच. लबोरेट्रीज लि., गाम - सेजायता, जिला रतलाम	21.01.2022	श्री बालाराम सुतार पिता श्री लक्ष्मीनारायण सुतार	लिफ्ट के प्रीफाल होने से नीचे गिरने की गंभीर दुर्घटना (गंभीर)	सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, उज्जैन द्वारा दि. 21.01.2022 को जांच कर कारखाना अधिनियम 1948 की धारा- 7ए, 2(सी) 88, नियम- 73(ई), 108 के उल्लंघन बाबत मान. मुख्य दण्डाधिकारी, रतलाम में प्रकरण क्र. RCT/626/2022 दर्ज किया गया जिसमें रु.25,000 का अर्थदण्ड माननीय न्यायालय द्वारा किया गया।

108
अनुभाग अधिकारी
म. ग. शासन,
श्रम विभाग

108
संचालक
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा